an>

Title: Need to release balance funds for disbursement of scholarships to students belonging to backward classes in Maharastra.

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई-उत्तर)** ः महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव द्वारा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र की ओर से वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2013-14 तक के बीच की अवधि की बकाया 1392.61 करोड़ रूपये की रिम्बर्समेंट राशि को जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं और उक्त राशि को जारी किये जाने हेतु 29 रिमाइंडर लैटर भी प्रेषित किये हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक यह बिकाया राशि जारी नहीं की गई है। राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृति हेतु बकाया केंद्रीय धन का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अतः मेरा माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृति हेतु बकाया केंद्रीय धन का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।